पत्रांक —10/न 4–37/2006 मा0.........../—

बिहार सरकार

मानव संसाधन विकास विभाग

बिहार, पटना

प्रेषक,

श्री कमलेश्वर प्रसाद सिंह,
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा

सेवा में,

श्री अशोक गांगुली,
अध्यक्ष,
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड,
शिक्षा केन्द्र, 2 कम्युनिटी सेन्टर,
नई दिल्ली–110092

पटना, दिनांक

विषयः— **कायनात इन्टरनेशनल स्कूल, काको जहानाबाद को अनापत्ति प्रमाण पत्र के संबंध में।**

महाशय,

उपरोक्त विषय के संबंध में निदेशानुसार सूचित करना है कि विभागीय अधिसूचना संख्या 238 दिनांक 03.04.2006 के आलोक में विद्यालय प्रबंधन के द्वारा उपलब्ध कराये गये कागजात की समीक्षा की गयी, जिसके अनुसार स्थिति निम्नवत् है :—

1. विद्यालय का संचालन निबंधित न्यास "कायनात फाउन्डेशन काको" द्वारा किया जाता है । न्यास के शासी निकाय के सदस्यो की सूची दी गयी है और यह सूचना भी दी गयी है कि सस्था में एक व्यक्ति अथवा परिवार का प्रभुत्व नहीं है। जिन सदस्यों का पेशा समाज सेवा अथवा छात्र बताया गया है उसे स्पष्ट किया जाना आवश्यक हैं क्योंकि समाज सेवा अथवा छात्र शब्दो से वास्तविक व्यवसाय का पता नहीं चलता है।
2. विद्यालय ने किसी निबंधित सोसाईटी/न्यास के फ्रेन्चाईजी के रूप में अथवा किसी विद्यालय के brand name का उपयोग नही करने का भी दावा किया है । परन्तु विद्यालय ने अपना नाम "इन्टरनेशनल" रखा है। जबकि न्यास "फाउनडेशन" के नाम से है। नाम के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा CWJC संख्या–3007/2005 अशोक कुमार बनाम यूनियन आफ इन्डिया एवं अन्य में दिनांक–09.03.05 को पारित न्यायदेश (न्यायदेश की प्रतिलिपि संलग्न) के आलोक में केन्द्रिय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को सुनिश्चित करना होगा कि नाम से आम जनता को दिग्भ्रामित नही किया जाय। केन्द्रिय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा स्कूल को नाम बदलने की सलाह दी जानी चाहिए।
3. विद्यालय के 6 एकड़ 20 डिसमिल भूमि उपलब्ध है। जिसपर विद्यालय के द्वारा भवन निर्मित करा लिया गया है । केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, नई दिल्ली के द्वारा निर्धारित मानक के अनुरूप विद्यालय की आधारभूत संरचना एवं सुविधा की जॉच बोर्ड को अपने निरीक्षण दल से करा लेनी होगी ।
4. विद्यालय में कितने शिक्षक है, सूची संलग्न नहीं की गई है। शिक्षकों की नियुक्ति विज्ञापन के माध्यम से करने की सूचना दी गयी है। और यह भी बताया गया है कि उनकी योग्यता एन० सी० टी० ई० के मापदंण्ड के अनुरूप है। लेकिन साक्ष्य उपलब्ध नही कराया गया है, जिससे यह स्पष्ट हो कि शिक्षकों की योग्यता राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् के मापदण्डों के अनुरूप है, तथा उनकी नियुक्ति में विहित प्रक्रिया का पालन किया गया है। केन्द्रिय, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड इस बिन्दु की जॉच कर ही आवश्यक कार्रवाई करना चाहेगा।
5. विद्यालय के द्वारा हिन्दी विषय पढ़ाने का दावा किया गया है ।

6. विद्यालय द्वारा निर्धारित ट्यूशन शुल्कों, वार्षिक लेखा, अंकेक्षण तथा वार्षिक प्रतिवेदन सार्वजनिक किये जाने की सूचना दी गयी है। विद्यालय के द्वारा कुछ वर्षो का "annual report balance sheet" आदि भी दिया गया है। परन्तु उससे तंथ्य स्पष्ट नही होते हैं ।

7. विद्यालय के द्वारा लिखित रूप से सहमति दी गई है कि उसे विभागीय अधिसूचना संख्या 238 दिनांक 03.04.2006 में उल्लेखित अपेक्षित शर्त्ते स्वीकार है । अपेक्षित शर्त्तो के अुनसार :–

(i) विद्यालय में क्षमता का 25% नामांकन पड़ोस में निवास करने वाले परिवार के बच्चों का निःशुल्क किया जायेगा तथा उनसे ट्यूशन शुल्क अथवा किसी अन्य प्रकार का शुल्क नही लिया जायेगा । ऐसे बच्चों की श्रेणी में अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, विकलांग बालिकाएँ तथा सामान्य श्रेणी के परिवार जिनकी आय अधिकतम 60,000/– रूपये प्रतिवर्ष होगें।

(ii) विद्यालय में नर्सरी/के0जी0 अथवा प्राथमिक कक्षा में नामांकन के लिए किसी तरह की प्रवेश परीक्षा/साक्षात्कार (बच्चों एवं माता/पिता सहित) नही लिया जायेगा । अगर नामांकन के लिए आवेदन निर्धारित क्षमता से अधिक हो तो खुले तरीका से Draw of Lots के माध्यम से नामांकन के लिए बच्चों का चयन किया जायेगा ।

(iii) नर्सरी/के0जी0 तथा प्राथमिक कक्षाओं के लिए प्रवेश लेने वाले बच्चों का विद्यालय से आवास की दूरी अधिकतम एक किलोमीटर एवं उच्च प्राथमिक एवं माध्यमिक कक्षा में नामांकन हेतु अधिकतम दूरी 3 किलोमीटर तक रहेगी ।

(iv) जिन बच्चों का नामांकन नही होता है उनसे ली गई आवेदन शुल्क की राशि का 80% राशि वापस लौटाने की व्यवस्था होगी ।

8. विद्यालय का निरीक्षण विभागीय पदाधिकारियों के द्वारा नहीं किया गया है । केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, नई दिल्ली अपने स्तर से जॉच कर यह सुनिश्चित हो ले कि विद्यालय उनके निर्धारित मापदण्ड के आधार पर संचालित है ।

9. साथ ही बोर्ड को यह सुनिश्चित करना होगा कि संबंधित विद्यालयों के द्वारा अपनी सहमति के अनुसार अनिवार्य एवं आपेक्षित शर्त्तो का अनुपालन किया जा रहा है । स्कूल को यह शर्त्ते सार्वजनिक करनी होगी तथा इनका उल्लेख प्रोस्पेक्टस एवं वेवसाइट में करना होगा ।

10. शर्त्तो के उल्लंधन की स्थिति में राज्य सरकार द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र वापस ले लिया जायेगा तथा संबंधन रद्द करने की कार्रवाई की जायेगी ।

11. उपरोक्त तथ्यों के आलोक में एवं उपर वर्णित शर्त्तो के आधार पर कायनात इन्टरलेशनल स्कूल, काको, जहानाबाद को केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति दी जाती है।

12. विद्यालय से प्राप्त आवदेन पत्र दिनांक 15.05.2006 की छायाप्रति संलग्न है ।

विश्वासभाजन

ह०/–
(कमलेश्वर प्रसाद सिंह)
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा

अनुलग्नक – यंथोक्त

ज्ञापांक – 612

पटना, दिनांकः– 25.9.06

प्रतिलिपि – प्रचार्य, कायनात इन्टरनेशनल स्कूल, काको जहानाबाद को को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

(कमलेश्वर प्रसाद सिंह)
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा